

Rule 147 : Recovery by sale of movable or immovable property

- (1) The proper officer shall prepare a list of movable and immovable property belonging to the defaulter, estimate their value as per the prevalent market price and issue an order of attachment or distraint and a notice for sale in **FORM GST DRC-16** prohibiting any transaction with regard to such movable and immovable property as may be required for the recovery of the amount due:

Provided that the attachment of any property in a debt not secured by a negotiable instrument, a share in a corporation, or other movable property not in the possession of the defaulter except for property deposited in, or in the custody of any Court, shall be attached in the manner provided in rule 151.

- (2) The proper officer shall send a copy of the order of attachment or distraint to the concerned Revenue Authority or Transport Authority or any such Authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instructions from the proper officer to that effect.
- (3) Where the property subject to the attachment or distraint under sub-rule (1) is-
- (a) an immovable property, the order of attachment or distraint shall be affixed on the said property and shall remain affixed till the confirmation of sale;
 - (b) a movable property, the proper officer shall seize the said property in accordance with the provisions of chapter XIV of the Act and the custody of the said property shall either be taken by the proper officer himself or an officer authorised by him.
- (4) The property attached or distrained shall be sold through auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC- 17** clearly indicating the property to be sold and the purpose of sale.
- (5) Notwithstanding anything contained in the provision of this Chapter, where the property to be sold is a negotiable instrument or a share in a corporation, the proper officer may, instead of selling it by public auction, sell such instrument or a share through a broker and the said broker shall deposit to the Government so much of the proceeds of such sale, reduced by his commission, as may be required for the discharge of the amount under recovery and pay the amount remaining, if any, to the owner of such instrument or a share.
- (6) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders or, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.
- (7) The last day for the submission of the bid or the date of the auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (4):

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Provided that where the goods are of perishable or hazardous nature or where the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the proper officer may sell them forthwith.

- (8) Where any claim is preferred or any objection is raised with regard to the attachment or distraint of any property on the ground that such property is not liable to such attachment or distraint, the proper officer shall investigate the claim or objection and may postpone the sale for such time as he may deem fit.
- (9) The person making the claim or objection must adduce evidence to show that on the date of the order issued under sub-rule (1) he had some interest in, or was in possession of, the property in question under attachment or distraint.
- (10) Where, upon investigation, the proper officer is satisfied that, for the reason stated in the claim or objection, such property was not, on the said date, in the possession of the defaulter or of any other person on his behalf or that, being in the possession of the defaulter on the said date, it was in his possession, not on his own account or as his own property, but on account of or in trust for any other person, or partly on his own account and partly on account of some other person, the proper officer shall make an order releasing the property, wholly or to such extent as he thinks fit, from attachment or distraint.
- (11) Where the proper officer is satisfied that the property was, on the said date, in the possession of the defaulter as his own property and not on account of any other person, or was in the possession of some other person in trust for him, or in the occupancy of a tenant or other person paying rent to him, the proper officer shall reject the claim and proceed with the process of sale through auction.
- (12) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of such notice and after the said payment is made, he shall issue a certificate in **FORM GST DRC-12** specifying the details of the property, date of transfer, the details of the bidder and the amount paid and upon issuance of such certificate, the rights, title and interest in the property shall be deemed to be transferred to such bidder:
Provided that where the highest bid is made by more than one person and one of them is a co-owner of the property, he shall be deemed to be the successful bidder.
- (13) Any amount, including stamp duty, tax or fee payable in respect of the transfer of the property specified in sub-rule (12), shall be paid to the Government by the person to whom the title in such property is transferred.
- (14) Where the defaulter pays the amount under recovery, including any expenses incurred on the process of recovery, before the issue of the notice under sub-rule (4), the proper officer shall cancel the process of auction and release the goods.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (15) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.
-

नियम 147 : जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय द्वारा वसूली

- (1) उचित अधिकारी, व्यतिक्रमी की जंगम और स्थावर सम्पत्ति की एक सूची तैयार करेगा, प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार उसकी कीमत का प्राक्कलन करेगा और कुर्की या करस्थम् का आदेश जारी करेगा तथा प्ररूप जीएसटी डीआरसी-16 में, ऐसी स्थावर और जंगम संपत्ति जो देय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित हैं, के संबंध में किसी संव्यवहार को प्रतिषिद्ध करते हुए विक्रय के लिए सूचना जारी करेगा :
- परन्तु** कोई ऋण जो पराक्रम्य लिखित द्वारा, किसी निगम में कोई अंश या अन्य जंगम संपत्ति द्वारा प्रतिभूत नहीं है, में किसी संपत्ति की कुर्की जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, किसी न्यायालय में निक्षेपित या अभिरक्षा में संपत्ति से भिन्न, नियम 151 में उपबंधित रीति से कुर्क की जाएगी।
- (2) उचित अधिकारी, कुर्की या करस्थम् आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को, स्थावर या जंगम संपत्ति पर विल्लंगम रखने को भेजेगा जो केवल उचित अधिकारी द्वारा उस प्रभाव के लिखित निर्देशों पर हटाया जाएगा।
- (3) जहां उपनियम (1) के अधीन कुर्की या करस्थम् के अध्यक्षीन, कोई संपत्ति—
- (क) स्थावर संपत्ति हैं, कुर्की या करस्थम् आदेश उक्त संपत्ति पर चिपकाया जाएगा और विक्रय की पुष्टि होने तक चिपका रहेगा।
- (ख) कोई जंगम संपत्ति है, वहां उचित अधिकारी उक्त संपत्ति को इस प्रकार अधिनियम के अध्याय 14 के उपबंधों के उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करेगा और उक्त संपत्ति की अभिरक्षा या तो उचित अधिकारी के द्वारा स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ली जाएगी।
- (4) कुर्की या करस्थम् की गई संपत्ति नीलामी के माध्यम से विक्रय की जाएगी, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-17 में सूचना, विक्रय की जाने वाली संपत्ति को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए और विक्रय का प्रयोजन देते हुए, जारी किया जाएगा।
- (5) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति, पराक्रम्य लिखित या किसी निगम में कोई अंश है, वहां उचित अधिकारी इसे लोक नीलामी से विक्रय करने के बजाय ऐसे लिखत या अंश को किसी दलाल के माध्यम से विक्रय कर सकेगा और उक्त दलाल वसूली के अधीन यथा अपेक्षित रकम को उन्मोचन के लिए, उसके कमीशन को घटाकर ऐसे विक्रय के आगम को सरकार को निक्षेप करेगा और अधिशेष रकम, यदि कोई हो, का संदाय ऐसे लिखत या अंश के स्वामी को करेगा।
- (6) उचित अधिकारी, नीलामी में, भाग लेने लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम का संदाय करने में असफल हो जाता है तो उसे समपह्त किया जा सकेगा।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (7) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन से पूर्व नहीं होगा :
- परन्तु** जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उनको अभिरक्षा में रखने का व्यय उनकी कीमत से अधिक होना संभवनीय है, तो अधिकारी उन्हें तुरंत विक्रय कर सकेगा।
- (8) जहां कोई या आक्षेप किसी संपत्ति की कुर्की या करस्थम के संबंध में इस आधार पर किया जाता है या उठाया जाता है कि ऐसी संपत्ति ऐसी कुर्की या करस्थम के लिए दायी नहीं है, वहां उचित अधिकारी ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और विक्रय को ऐसे समय के लिए, जैसा वह ठीक समझे, मुलतवी कर सकेगा।
- (9) दावा या आक्षेप करने वाला व्यक्ति साक्ष्य देगा कि उपनियम (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख को कुर्की या करस्थम के अधीन प्रश्नगत संपत्ति में वह कब्जे में था या उसका कुछ हित था।
- (10) जहां अन्वेषण करने पर उचित अधिकारी का दावा या आक्षेप में कथित कारण से, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी या व्यतिक्रमी के या उक्त तारीख पर व्यतिक्रमी के कब्जे में होने के कारण यह उसके कब्जे में नहीं थी जहां अन्वेषण पर, उचित अधिकारी का दावे या आक्षेप में कथित कारणों से यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को ऐसी संपत्ति, व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के, कब्जे में नहीं थी या उक्त तारीख को जो व्यतिक्रमी के कब्जे में थी, वह उसके स्वयं की या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति नहीं थी अपितु किसी अन्य व्यक्ति की या उसके न्यास की थी या भागतः उसकी स्वयं की और भागतः किसी अन्य व्यक्ति की थी, वहां उचित अधिकारी, ऐसी संपत्ति को, पूर्णतः या ऐसे विस्तार तक, जो वह ठीक समझे, कुर्की या करस्थम से निर्मोचन का अधिकार देगा।
- (11) जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को संपत्ति व्यतिक्रमी के कब्जे में उसकी अपनी संपत्ति के रूप में थी, न कि किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी पर, या उसके लिए न्यास में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था या किसी किरायेदार या किसी अन्य व्यक्ति जो उसे किराया दे रहा था, के अधिभोग में था उचित अधिकारी दावा नामंजूर करेगा और नीलामी के माध्यम से विक्रय की प्रक्रिया अग्रसर करेगा।
- (12) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11** में सूचना, उससे अपेक्षा करते हुए कि रकम का संदाय ऐसे सूचना की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर करे, जारी करेगा और जब उक्त संदाय हो जाता है तो वह **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12** में संपत्ति के ब्यौरे, अंतरण की तारीख, बोली लगाने वाले के ब्यौरे और संदत्त रकम, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र जारी होने पर ऐसे बोली लगाने वाले को संपत्ति में अधिकार, हक और हित अंतरित समझे जाएंगे:
- परन्तु** जहां अधिकतम बोली एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है और उनमें से एक संपत्ति का सहस्वामी है वहां वह सफल बोली लगाने वाला समझा जाएगा।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (13) उपनियम (12) में विनिर्दिष्ट संपत्ति के अंतरण संबंध में देय कोई रकम, जिसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क, कर या फीस भी है, उस व्यक्ति द्वारा सरकार को संदत्त की जाएगी जिसे ऐसी संपत्ति में हक अंतरित किया जाता है।
- (14) उपनियम (4) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, जहां व्यक्तिवर्गीय वसूली अधीन रकम का संदाय करता है, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी हैं, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया को रद्द करेगा और माल को निर्माचित करेगा।
- (15) जहां कोई बोलियां प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों के कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा।
-